रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102022-239512 CG-DL-E-10102022-239512

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4597] No. 4597] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 2022/ आश्विन 15, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2022/ASVINA 15, 1944

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4807(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसकेपश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1235(अ), तारीख 15 मार्च 2022, भारत के राजपत्र सं०1194— तारीख 21 मार्च 2022, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में "कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाईन परियोजना हेतु तहसील सोरॉवजिला प्रयागराज राज्य उत्तर प्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 31 मार्च 2022, तक उपलब्ध करा दी गई थी.

और श्री राकेश कुमार सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह घोषणा करते है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

 $6830 \, \text{GI}/2022$  (1)

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी.

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम,1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला-प्रयागराज		राज्य-उत्तर प्रदेश				
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल			
			हेक्टेयर-एयर-वर्गमीटर			
1	2	3	4	5	6	
सोरॉव	निन्दूरा	2542	00	05	32	
		1608	00	02	13	
सोरॉव	आनापुर	450	00	01	05	
सोरॉव	जगदीशपुर मसनी	469	00	04	06	
सोरॉव	करौंदी	207	00	13	26	
सोरॉव	देवापुर	276	00	00	76	

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I(ई-33882)]

पी. सोमाकमार. अवर सचिव

# MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

S.O. 4807(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 1235 (E) Dated 15 March 2022 published in the Gazette of the India Gazette No 1194 dated 21 March 2022 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying "Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project" for the transportation of LPG Gas in tehsil Soraon District Prayagraj In the state of Uttar Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 31March 2022 and whereas the, Shri Rakesh Kumar, Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

#### **SCHEDULE**

District : Prayagraj		State : Uttar Pradesh				
Tehsil	Village	Survey No.	Area			
Tensn			Hect	Are -	Sq. mtr.	
1	2	3	4	5	6	
Soraon	Nindura	2542	00	05	32	
		1608	00	02	13	
Soraon	Aanapur	450	00	01	05	
Soraon	Jagdishpur Masani	469	00	04	06	
Soraon	Karaundi	207	00	13	26	
Soraon	Devapur	276	00	00	76	

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.